पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-02.09.2024

दिनांक 01/02.09.2024 को थाना दुबग्गा 02, इन्दिरानगर 02, गोमतीनगर 01, निगोहाँ 01,मोहनलालगंज 01 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में थाना दुबग्गा 01,महानगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0/बी0एन0एस0

थाना गोमतीनगर-दिनांक 02.09.2024 थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामदास निवासी ग्राम ईटगाँव टपर पोस्ट पण्डित पुरवा थाना थानगाँव जनपद सीतापुर वर्तमान पता खरगापुर क्रासिंग के पास विनीत खण्ड 5 थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 31.08.2024 को वादी खरिकापुर क्रासिंग के बगल में विनीत खण्ड रात में गार्ड की नौकरी करता है। वादी के कार्यस्थल पर वादी का मोबाइल रियल मी सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 424/2024 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना मोहनलालगंज-दिनांक 02.09.2024 थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री अनस राईन पुत्र श्री इकबाल अहमद निवासी ग्राम मऊ थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि वादी मौरंग बालू गिट्टी आदि का विक्रय का कार्य करता है। दिनांक 31.08.2024 समय करीब दोपहर 01.30 बजे मोबाइल नम्बर 7389716025 व 8822107194 से वादी के पास कॉल आना शुरु हुआ एवं उपरोक्त दोनो नम्बरों से बात कर रहे व्यक्तियों छलपूर्वक वादी से मौरंग गिट्टी मंगवाने हेतु ऑर्डर देने की बात कही एवं कहा कि मै आपका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर दूँगा। वादी ने उपरोक्त व्यक्तियों से कहा कि माल तभी भेजा जायेगा जब पूरा भुगतान कर दिया जायेगा। तब मोबाइल नम्बर 8822107194 से बात कर रहे व्यक्ति ने वादी से कहा कि मै आपका पेमेन्ट क्रेडिट कार्ड से कर पाँऊगा। तो वादी ने कहा कि मैने आपको फोन पे का क्यूआर कोड भेजा है तो उक्त व्यक्ति ने कहा मैं आपको मोबाइल नम्बर से क्रेडिट कार्ड के द्वारा भेज पाऊँगा। और कहा कि इसके लिए आपको फोन पे एप्प खोल लीजिये तो मै आपको भुगतान करता हूँ। वादी ने उक्त व्यक्ति द्वारा बतायी गयी बात पर विश्वास करते हुए फोन पे एप्प खोल लिया तो उक्त व्यक्ति ने वादी 40/- रुपये का पेमेन्ट भेजा और कहा कि देखकर बताइये की पेमेन्ट प्राप्त हो गया की नहीं,तो वादी ने बताया कि जी हाँ पेमेन्ट प्राप्त हो गया। उसके बाद उपरोक्त नम्बर से बात कर रहे व्यक्ति ने कहा की मैं फोन पे एप्प पर आपको लिंक भेज रहा हूँ। जिसको क्लिक करके आप अपना एमाउण्ट फिल कर दीजिये मैं आपको पेमेन्ट भेज दे रहा हूँ। जब उपरोक्त व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर वादी द्वारा क्लिक करके दो बार में 25-25 हजार रुपये व एक बार 5,000/-रुपये फिल किया तो वादी के एकाउण्ट से दो बार में 25-25 हजार रुपये व एक बार में 5,000/-रुपये कुल 55000/- रुपये की धनराशि कट गयी। उसके बाद उपरोक्त व्यक्ति ने कॉल काट दी तब वादी को यह आभास हुआ कि उपरोक्त दोनो नम्बरो से बात कर रहे व्यक्ति ने वादी के साथ छल कपटपूर्वक वादी से 55,000/- रुपये हड़प लिये है। जिसके बाद इसी प्रक्रिया से अमन असलम पुत्र स्व0 मोहम्मद असलम के साथ भी छल कपटपूर्वक वादी से 10,000/-रुपये हड़प लिये। **इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 387/2024 धारा 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना पारा</u>-दिनांक 02.09.2024 थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादी श्री बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राम गोपाल गुप्ता निवासी 599/21 एम0आर0 आलम बिहार मोहान रोड थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 29.08.2024 को समय करीब शाम 07.10 बजे अपने ऑफिस कनौजिया सिटी से बुद्धेश्वर चौराहे से अपने घर की ओर जा रहा था कि बुद्धेश्वर चौराहे पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हाथ देकर गाडी रुकवायी और जब वादी ने अपनी गाडी का शीशा खोला तो वो अज्ञात व्यक्ति ने शीशे के अन्दर हाथ डालकर वादी का सैमसंग एस-23 अल्ट्रा मॉडल मोबाइल फोन चोरी कर लिया तथा वादी द्वारा चौराहे पर गाड़ी खड़ी करके इधर-उधर बहुत तलाश किया परन्तु वह व्यक्ति नही मिला। **इस सूचना पर थाना पारा पर मु0अ0सं0 498/2024 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना चिनहट</u>-दिनांक 02.09.2024 थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री रितेश सिंह पुत्र श्री दिनेश सिंह निवासी 632/506 बसन्त बिहार कालोनी कमता थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 01.09.2024 को समय करीब रात्रि 03.00 बजे एक चोर द्वारा वादी के घर में दरवाजा फांद कर घर मे घुसकर फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ दरवाजा अन्दर से बन्द नहीं था अन्दर जाकर कमरे में रखे कीमती जेवरात व कैश लगभग 1,50,000/- रुपये व अपनी चप्पल छोडकर जूता पहनकर चला गया है। **इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 409/2024 धारा 305(ए) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना पारा</u>- दिनांक 02.09.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि श्री इन्द्रपाल पुत्र जोधीप्रसाद निवासी भपटामऊ थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दी कि दिनांक 02.09.2024 को मेरी पत्नी आरती रावत ने छत मे लगे पंखे के सहारे फाँसी लगा ली है जिसकी मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर उ0नि0 सुबे चन्द यादव मो0नं0-8174059726 थाना पारा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि आरती रावत उम्र करीब 32 वर्ष पत्नी इन्द्रपाल द्वारा रावत निवासी ग्राम भपटामऊ थाना पारा जनपद लखनऊ एक गृहणी महिला है। जिनके पति टीबी के मरीज है व एक पुत्र उम्र करीब 8 वर्ष है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा पहुँचकर देखा कि आरती रावत उपरोक्त द्वारा आज दिनांक 02.09.2024 को अपने कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर छत के पंखे के सहारे फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है,शव पर कोई जाहिरा चोट नहीं है ,पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।